वाद पत्रावली v/s [illegible]

[illegible] पेश उपरांत पत्रावली तलबियत रहिते [illegible] को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

[illegible] परीक्षण [illegible]।
[illegible] अधिकारी [illegible]/अवकाश
[illegible]
पत्रावली दि. 24.2.22 को पेश हो।

2.12.22 अधिवक्ता [illegible] उपस्थित।
[illegible] कार्य स्थगित
[illegible] अधिकारी अन्य
[illegible] पत्रावली
[illegible] 30.1.23 को पेश हो।

30.1.23 पत्रावली आज पेश हुई। अधि. वक्ता वादी अनुपस्थित। अधि. वक्ता वादी को बार-बार आवाज लगवाई गई। लेकिन वादी या उसके अधि. वक्ता उपस्थित नहीं आये। इसलिए वादी का वाद अक्रम होने एवं अक्रम पत्रावली में खारिज किया जाता है। पत्रावली निस्तारित कुमार होकर दर्ज रजिस्टर किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)